जिला समादेष्टा, का कार्यालय झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, रामगढ़।

विज्ञापन संख्या– 01/2018 के तहत रामगढ़ जिला में गृह रक्षक नव नामांकन में_अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित अति आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या– 01/2018 के तहत रामगढ़ जिला में गृह रक्षक नव नामांकन के प्रखण्डवार ग्रामीण /शहरी क्षेत्र में उपलबध रिक्तियों के विरूद्ध अन्तिम रूप से चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनका आवासीय सत्यापन अनुमण्डल पदाधिकारी रामगढ़ कार्यालय के स्तर से प्राप्त हो चुका है, उनका विभागीय प्रावधान अनुसार फॉर्म "अ" एवं "ग" भरवा कर चिकित्सीय जाँच एवं पुलिस सत्यापन (चारित्रिक/आवासीय सत्यापन) किया जाना है।

इस हेतु क्रमशः चिकित्सीय जांच एवं पुलिस सत्यापन के लिए फॉर्म "अ" एवं "ग" का नमूना फॉर्म एवं मूल फॉर्म NIC रामगढ़ के वेबसाईट में अपलोड किया गया है। जिसे रामगढ़ NIC के वेबसाईट www.ramgarh.nic.in एवं समाचार पत्र में देखा जा सकता है। NIC में अपलोड नमूना फॉर्म के अनुसार मूल फॉर्म "अ" एवं "ग" को भरकर चिकित्सीय जांच हेतु निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे:–

क्रम संख्या	प्रखण्ड का नाम	समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से 01:00 बजे अपराह्न तक	समय 02:00 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक	तिथि	स्थान	अभियुक्ति
1	गोला	महिला (कुल– 22)	पुरूष (कुल– 22)	27.08.2020	डी0 यू0 मिशन प्राईमरी स्कूल रामगढ़	
2	दुलमी	महिला (कुल– 36)	पुरूष (कुल– 36)	28.08.2020		दिनांक– 29.08.2020 को करमा पुजा एवं 30.08.2020 को रविवार अवकाश होने के कारण कार्यालय बंद रहेगा।
3	चितरपुर	महिला (कुल– 34) रौल न0 02 से 334 तक	पुरूष (कुल– 34) रौल न0 02 से 334 तक	31.08.2020		
4	पतरातु एवं चितरपुर	चितरपुर महिला एवं पुरूष रौल न0– 335 से 454 तक (कुल– 33)	पतरातु महिला एवं पुरूष, (कुल– 26)	01.09.2020		
6	शहरी गैर तकनिकी	महिला रौल न0– 38 से 305 तक (कुल– 37)	महिला रौल न0– 349 से 663 तक (कुल– 36)	02.09.2020		

7	शहरी गैर तकनिकी	पुरूष रौल न0– 02 से 275 तक (कुल– 37)	पुरूष रौल न0– 276 से 733 तक (कुल– 37)	03.09.2020		
8	शहरी तकनिकी	पुरूष रौल न0– 01 से 107 तक (कुल– 37)	पुरूष रौल न0– 122 से 224 तक (कुल– 37)	04.09.2020		
9	शहरी तकनिकी एवं रामगढ़	शहरी तकनिकी महिला एवं रामगढ़ महिला (कुल– 39)	रामगढ़ पुरूष (कुल– 37)	05.09.2020		

उपरोक्त तिथि, स्थान एवं समय को यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं या फॉर्म "अ" एवं "ग" नहीं भरते हैं एवं चिकित्सीय जांच में शामिल नहीं होते हैं तो बाद में उसकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के दावे को भविष्य में स्वीकार किया जायेगा।

महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1. सभी चयनित अभ्यर्थी अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक खाता की स्व– अभिप्रमाणित छायाप्रति निश्चित रूप से अपने साथ लेकर आयेंगे।
2. सभी चयनित अभ्यर्थी अपना 02 (दो) कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लायेंगे।
3. सभी अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर ही उपस्थित होंगे एवं कार्यालय में उपस्थित होने के उपरांत सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन करेंगे।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर नवनामांकन समिति के अध्यक्ष–सह–उपायुक्त रामगढ़, का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0

जिला समादेष्टा,
झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी,
रामगढ़।